बिहार सरकार
कृषि विभाग,

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट आवंटन-17/2014-27(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 16-06-2014

ax/Mail प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषयः **खरीफ 2014 में फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए खरीफ महाभियान के तहत श्री विधि से धान की खेती, संकर धान प्रभेद की खेती, पैडी ट्रांसप्लांटर,पैडी ड्रम सीडर, धान की सीधी बुआई, गहरे पानी वाले धान का तकनीकी प्रत्यक्षण, मक्का, ज्वार, बाजरा, मरूआ, अरहर की खेती का क्षेत्र विस्तार, धान के सामुदायिक नर्सरी के प्रत्यक्षण, धान रोपनहारों के प्रशिक्षण एवं फसल कटनी/ क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों के लिए 31433.47 लाख रूपये (तीन अरब चौदह करोड़ तैंतीस लाख सैंतालिस हजार रूपये) की स्वीकृति तथा इसके अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से कुल स्वीकृत 28195.59 लाख रूपये (दो अरब इकासी करोड़ पंचानबे लाख उनसठ हजार रूपये) में से अनुसूचित जनजातियों के लिए 281.76 लाख रूपये (दो करोड़ ईकासी लाख छिहत्तर हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप तत्काल व्यय हेतु ₹2,35,00,000 (दो करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2503 दिनांक-12.06.2014 द्वारा खरीफ 2014 में फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए खरीफ महाभियान के तहत श्री विधि से धान की खेती, संकर धान प्रभेद की खेती, पैडी ट्रांसप्लांटर,पैडी ड्रम सीडर, धान की सीधी बुआई, गहरे पानी वाले धान का तकनीकी प्रत्यक्षण, मक्का, ज्वार, बाजरा, मरूआ, अरहर की खेती का क्षेत्र विस्तार, धान के सामुदायिक नर्सरी के प्रत्यक्षण, धान रोपनहारों के प्रशिक्षण एवं फसल कटनी/ क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों के लिए 31433.47 लाख रूपये (तीन अरब चौदह करोड़ तैंतीस लाख सैंतालिस हजार रूपये) की स्वीकृति तथा इसके अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से कुल स्वीकृत 28195.59 लाख रूपये (दो अरब इकासी करोड़ पंचानबे लाख उनसठ हजार रूपये) में से अनुसूचित जनजातियों के लिए 281.76 लाख रूपये (दो करोड़ ईकासी लाख छिहत्तर हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। तत्काल व्यय हेतु ₹2,35,00,000 (दो करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹2,35,00,000 (दो करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1-उपशीर्ष- 0231-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड-P2401007960231, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष, 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूंर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,
16/6/14

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।